

सं०सं०-16/एम.1-69/2025

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

**उपेन्द्र राम,**

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

**प्रभारी पदाधिकारी,**

वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, ऐनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,

पुराना सचिवालय, पटना-800015

**पटना, दिनांक-**

**विषय:- शंखपुरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।**


**प्रसंग:- वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सबध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 04/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-301(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण तदुपरात आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-748(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला सयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालो आदि मे पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक मे सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा मे रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्राक 1397(आ०चि०) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अविध को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है:-

  
12/12/2024

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अप्रकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० प्रियका कुमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, मेहुस	दिनांक 16.03.2024 से 19.07.2024 तक 126 दिन	—	30102425054949		प्रशिक्षण अवधि
2	डॉ० आलोक कुमार आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, हथियावा	दिनांक 15.03.2024 से 19.07.2024 तक 127 दिन	—	30102425054947		प्रशिक्षण अवधि
3	डॉ० प्रेमचन्द्र कुमार आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्था० केन्द्र, गगरी गिरिहन्दा	दिनांक 15.03.2024 से 19.07.2024 तक 127 दिन	—	17122425056450		प्रशिक्षण अवधि
4	डॉ० धनजय कुमार आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, मालदह, बरबीघा	दिनांक 15.03.2024 से 19.07.2024 तक 127 दिन	—	20112425056705		प्रशिक्षण अवधि
5	डॉ० पल्लव कुमार आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, पैन	दिनांक 15.03.2024 से 19.07.2024 तक 127 दिन	—	18112425056350		प्रशिक्षण अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—16/एम.1—69/2025 - 404 (आ. नि.) पटना, दिनांक—12.3.2026

**प्रतिलिपि**—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**—सिविल सर्जन, शेखपुरा/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03/2026  
सरकार के अवर सचिव